छत्तीसगढ़ शासन,
जल संसाधन विभाग,
मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्र० 2955 **/PROJ-41011/427/2026-WRD,** अटल नगर, दिनाँक 17 **/07/2026**

प्रति,

मुख्य अभियंता,
महानदी परियोजना,
जल संसाधन विभाग,
रायपुर (छ.ग.)

विषय :- **"अपरीक्षित नवीन मद" अंतर्गत रू. 5.00 करोड़ तक के योजनाओं की प्रशासकीय स्वीकृति।**

संदर्भ :- **छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय का पत्र क्र.-308/वित्त/चार/2025 नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 14.05.2025.**

--00--

राज्य शासन एतद् द्वारा स्थायी वित्त निर्देश 15/2025 के तहत आपके संरचनाधीन राशि रू. 5.00 करोड़ तक के निम्नलिखित योजनाओं की प्रशासकीय स्वीकृति नीचे दर्शित शर्तो के अधीन प्रदान करता है :-

स. क्र.	योजना का नाम	जल संसाधन संभाग का नाम	मांग संख्या	लागत राशि रू. (लाख में)	प्रस्तावित सिंचाई / पुनर्स्थापन (हे.)
1	बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के बलौदा शाखा नहर के वितरक शाखा क्रमांक 11 एवं 12 का रिमॉडलिंग सी सी लाईनिंग एवं पक्के कार्यो का पुनर्निर्माण कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति।	जल प्रबंध संभाग क्रमांक-2, बलौदाबाजार	64/4700 (2898) 2026-27	499.86	339.05
2	बलौदाबाजार भाटापारा जिले के सोंढूर परियोजना अतंर्गत भाटापारा शाखा नहर के बेन्द्री वितरक नहर का रिमॉडलिंग एवं सी.सी. लाईनिंग कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति।	म.ज.प. डिसनेट संभाग क्रमांक-3 तिल्दा	75/4700 (5516) 2026-27	482.81	355
3	रायपुर जिले के विकासखण्ड-धरसींवा के महानदी परियोजना अंतर्गत भाटापारा शाखा नहर के कि.मी. 22.50 पर डी.सी. एवं कि.मी. 0.570 व कि.मी. 14.400 पर व्ही.आर.बी. का निर्माण तथा कि.मी. 3.300 व कि.मी. 18.100 पर इनलेट का निर्माण कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति।	म.ज.प. डिसनेट संभाग क्रमांक-3 तिल्दा	75/4700 (5516) 2025-26	420.85	---
4	रायपुर जिले के विकासखण्ड-धरसींवा के महानदी परियोजना अंतर्गत मांढ़र शाखा नहर की वितरक शाखा क्र. 14 के आर.डी. 2700 मी. से 3500 मी. तक ह्यूम पाईप से नहर को भूमिगत करने का कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति।	जल प्रबंध संभाग क्रमांक-1, रायपुर	23/4700 (2898) 2025-26	490.13	---
5	रायपुर जिले के विकासखण्ड-धरसींवा के माढ़र ब्रांच केनाल के आर.डी. 31600 मी. से 32900 मी. तक सर्विस रोड पर डामर रोड का निर्माण कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति।	जल प्रबंध संभाग क्रमांक-1, रायपुर	23/4700 (2898) 2026-27	190.92	---
6	रायपुर जिले के विकासखण्ड-धरसींवा के मांढर शाखा नहर के वितरक शाखा क्रमांक-8 के माइनर क्रमांक-1 में आर.डी. 0 मी. से आर.डी. 2000 मी. तक एवं वितरक शाखा 8 के बाँयी बैंक में आर.डी. 1585 मी. से आर.डी. 2600 मी. तक भूमिगत पाईप लाईन एवं कांक्रीट रोड (मुरमीकरण) का निर्माण कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति।	जल प्रबंध संभाग क्रमांक-1, रायपुर	23/4700 (2898) 2025-26	492.47	---
7	रायपुर जिले के महानदी परियोजना समूह अंतर्गत मांढ़र शाखा नहर के वितरक शाखा क्रमांक 11 ए, 13, 14 एवं उनके माईनर्स का जीर्णोद्धार कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति।	जल प्रबंध संभाग क्रमांक-1, रायपुर	23/4700 (2898) 2025-26	497.35	430

..2

स. क्र.	योजना का नाम	जल संसाधन संभाग का नाम	मांग संख्या	लागत राशि रू. (लाख में)	प्रस्तावित सिंचाई / पुनर्स्थापन (हे.)
8	रायपुर जिले के विकासखण्ड-धरसींवा के अंतर्गत खारुन नदी पर तटरक्षण एवं बाढ़ प्रबंधन कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति।	जल प्रबंध संभाग क्रमांक-1, रायपुर	23/4711 (6757) 2025-26	490.86	- - -
9	रायपुर जिले के विकासखण्ड-आरंग के कोल्हान नाले पर संडी एनीकट निर्माण कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति।	जल प्रबंध संभाग क्रमांक-1, रायपुर	64/4702 (5059) 2025-26	374.76	60
*10	रायपुर जिले के विकासखण्ड-आरंग के ग्राम बनरसी में बंजारी नाला पर स्टापडेम निर्माण कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति।	जल प्रबंध संभाग क्रमांक-1, रायपुर	64/4702 (3828) 2026-27	469.85	50
11	रायपुर जिले के विकासखण्ड-अभनपुर एवं आरंग के रविशंकर सागर परियोजना के महानदी मुख्य नहर में 6 स्थानों पर स्वचलित जल प्रवाह माप यंत्र स्थापित करने का कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति।	जल प्रबंध संभाग क्रमांक-1, रायपुर	23/4700 (2898) 2026-27	499.72	- - -
12	रायपुर जिले के विकासखण्ड-अभनपुर के जवइबांधा डायवर्सन केनाल के आर.डी. 0 से 660 मी. तक दाँयी एवं बाँयी ओर रिटेनिंग वाल तथा ब्रांच केनाल के आर.डी. 0 मी. से 180 मी. तक दाँयी एवं बाँयी ओर रिटेनिंग वाल का निर्माण कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति।	जल प्रबंध संभाग क्रमांक-1, रायपुर	45/4702 (3803) 2025-26	400.64	- - -
13	रायपुर जिले के विकासखण्ड-आरंग राजीव निसदा समोदा निसदा व्यपवर्तन योजना (प्रथम चरण) के डाऊन स्ट्रीम निर्मित फ्रुट ब्रिज के नीव का सुरक्षा कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति।	म.ज.प. द्वितीय चरण कार्य संभाग रायपुर	23/4711 (6757) 2025-26	182.55	- - -
14	धमतरी जिले के विकासखसण्ड-कुरुद के भखारा माईनर का लाईनिंग एवं संरचनाओं का निर्माण कार्य, आर.डी. 0 मी. से 4900 मी. की प्रशासकीय स्वीकृति।	म.ज.प. बाँध संभाग क्रमांक-2 रुद्री	23/4700 (2898) 2025-26	497.83	175
15	धमतरी जिले के विकासखण्ड-धमतरी के महानदी परियोजना समूह अंतर्गत धमतरी जिले के न्यू रूद्री बैराज स्थापित जलद्वारों का पेंटिंग कार्य एवं रबर सील बदलने, रोलर, वायर रोप बदलने एवं विद्युतीकरण कार्य तथा डी.जी. सेट स्थापित करने का कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति।	विद्युत यांत्रिकी भारी संयंत्र संभाग रुद्री	23/4700 (2898) 2026-27	497.17	- - -
16	कांकेर जिले के विकासखण्ड-नरहरपुर के महानदी जलाशय परियोजना अंतर्गत दुधावा बांध के स्लूस बैरल में एपाक्सी ग्राउटिंग कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति।	जल प्रबंध संभाग रुद्री	23/4700 (5685) 2026-27	497.44	- - -

2. योजनाओं की प्रशासकीय स्वीकृति पर छत्तीसगढ़ शासन, वित्त एवं योजना विभाग, मंत्रालय के स्थायी वित्त निर्देश 15/2025 अनुसार गठित समिति की अनुशंसा एवं माननीय विभागीय मंत्री सह, मुख्यमंत्री महोदय का प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्त है।
3. योजना का कार्य स्वीकृत राशि एवं निर्धारित समयावधि के अंतर्गत ही पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें।
4. कार्य की ड्रॉईंग व डिजाईन कर सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदन सुनिश्चित किया जाये।
5. कार्य की तकनीकी स्वीकृति (TS) सक्षम अधिकारी से प्राप्त करने के उपरांत ही निविदा आमंत्रित की जाये तथा कार्य नियमावली एवं शासकीय नियमों/निर्देशों में निर्दिष्ट समस्त औपचारिकताओं का पूर्णतः पालन सुनिश्चित करने के उपरांत ही कार्य प्रारंभ किया जाये तथा कार्य पूर्ण होने के उपरान्त योजना का पूर्णता प्रमाण पत्र शासन को दिया जाये।
6. प्रस्तावित निर्माण कार्य की निविदा कम से कम 75 प्रतिशत बाधा रहित भूमि उपलब्ध होने पर ही की जाये।

7. कार्य में यदि भू-अर्जन प्रस्तावित है तो स्वीकृत राशि की सीमा के अंतर्गत ही विधिवत भू-अर्जन हेतु व्यय किया जाये। किसी भी स्थिति में किसी अन्य मद की बचत राशि से भू-अर्जन की कार्यवाही बिना पूर्व स्वीकृति प्राप्त किये न किया जाये।
8. यदि कार्य में भू-अर्जन प्रस्तावित नहीं है तो प्रस्ताव अनुसार शासकीय भूमि पर ही निर्माण कार्य कराया जाना सुनिश्चित किया जाये। भूमि का आबंटन सक्षम अधिकारी से करा लिया जाये।
9. कार्य की निविदा समय सीमा में कर ली जाए। निविदा प्रक्रिया निष्पक्ष एवं पारदर्शी हो व निविदा में पर्याप्त प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित की जाए।
10. कार्य की निविदा दर 10 प्रतिशत से अधिक प्राप्त होने पर अथवा मूल प्रस्ताव में प्रस्तावित कार्य की मात्रा में 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होने पर या नवीन कार्य जोड़े जाने पर या किसी भी स्तर पर निर्माण कार्य की प्रशासकीय स्वीकृत लागत तथा उपरोक्तानुसार स्वीकृत सीमा से अधिक राशि का दायित्व (Liability) निर्मित होने की स्थिति में निर्माण कार्य की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृत्ति तत्समय ही प्राप्त की जाये। बिना सक्षम स्वीकृति के अतिरिक्त दायित्व निर्मित न किये जाये।
11. शीर्ष में उपलब्ध आबंटन की सीमा में ही व्यय सुनिश्चित किया जाये। सीमा से अधिक व्यय नहीं किया जाये।
12. निर्माण कार्य प्राक्कलन व कार्य संपादित करने में मितव्ययिता सुनिश्चित करें।
13. कार्य में प्रयुक्त सामग्रियों एवं संपूर्ण कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये। किसी भी स्तर पर कार्य की गुणवत्ता पर कमी पाये जाने पर उत्तरदायित्व का निर्धारण करते हुए नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाये।
14. अनुबंध अनुसार कार्य समयसीमा में पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करे। निर्माण कार्य में समय वृद्धि (Time Extention) नियमानुसार अर्थदण्ड सहित अधिरोपित किया जाये। कार्य पूर्ण किये जाने हेतु अनावश्यक समय-सीमा वृद्धि
15. छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता भाग-एक के नियम-10 के अनुसार मुख्य अभियंता का यह दायित्व है कि वे कार्य पर नियंत्रण रखें तथा उनके कार्यालय तथा अधीनस्थ आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा प्रशासकीय वित्तीय नियमों का पालन हो।
16. राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी नियमों/ निर्देशों के अंतर्गत प्रस्ताव की उपयुक्तता (Viability) का आंकलन सुनिश्चित कर लिया जाये। प्रस्ताव लोकहित के मूल भावना के अनुरूप हो।
17. कार्य के तकनीकी पहलुओं यथा कार्य का चयन, कार्य स्थल की उपयुक्तता, कार्य की गुणवत्ता, प्राक्कलन की सटीकता, कार्यपूर्णता हेतु समय-सीमा, वित्तीय अनुशासन एवं प्रचलित नियमों/प्रावधानों का पालन सुनिश्चित किया जाये।

*18. सरल क्रमांक-*10 में अंकित योजना हेतु व्यय 64/4702 (3828) के स्थान पर वित्त विभाग से परिवर्तन हेतु सहमति प्राप्त कर 64/4702 (5059) अंतर्गत विकलनीय होगा। अत: योजना अंतर्गत व्यय मद परिवर्तन उपरान्त ही किया जावे।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

Digitally signed by
VIDYA BHARTI
Date: 17-07-2026
17:49:23

(विद्या भारती)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
जल संसाधन विभाग

..4

पृ०क्र०.2956./ **PROJ-41011/427/2026-WRD**, अटल नगर, दिनाँक 17 **/07/2026**

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर-अटल नगर।
2. निज सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी (निवास), छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर।
3. सचिव, वित्त विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर-अटल नगर।
4. सचिव, जल संसाधन विभाग छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर-अटल नगर।
5. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, जीरो पाइन्ट, बलौदाबाजार रोड, रायपुर।
6. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), जीरो पाइन्ट, बलौदाबाजार रोड, रायपुर।
7. कलेक्टर, जिला- रायपुर / धमतरी / बलौदाबाजार-भाटापारा / कांकेर (छ.ग.)।
8. संचालक जनसंपर्क संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर-अटल नगर।
9. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, नवा रायपुर-अटल नगर।
10. उप संचालक, मंत्रालय प्रेस प्रकोष्ठ कक्ष क्र.-एम 4-22 नवा रायपुर-अटल नगर।
11. अधीक्षण अभियंता, एम.आई.एस.यूनिट, कार्यालय प्रमुख अभियंता, शिवनाथ भवन, सेक्टर-19, नवा रायपुर-अटल नगर।
12. अधीक्षण अभियंता, ... (छ.ग.)।
13. कार्यपालन अभियंता, ... (छ.ग.)।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

14. आदेश फोल्डर।

Digitally signed by
VIDYA BHARTI
Date: 17-07-2026
17:50:15

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
जल संसाधन विभाग